रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 1975/पौष 20, 1896

No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 1975/PAUSA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 10th January 1975

S.O. 25(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1975.

2. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962, in Form No. 3, in PART I of ANNEXURE D, in item 6, the figures, letters and word "80MM to" and the words abbreviation, figure and letter "and attach Form No. 3C, if applicable" shall be omitted.

[No. 814/F. No. 142(41)/74-TPL]

O. P. BHARDWAJ,

Secy., Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1975

का० आ० 25 (अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं० 3 में, उपबन्ध घ के भाग 1 में मद 6 में, "80 ङ ङ" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 80 ण अंक और अक्षर रखे जायेंगे तथा "और प्ररूप सं० 3 ग, यदि लागू है, संलग्न करें," शब्दों, संक्षेपाक्षर, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

[सं० 814/फा० सं० 142(41)/74-डी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975